न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 21/25

जगदीशप्रसाद जाखड पुत्र पन्नाराम जाखड जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1
3. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक:– 03-03-2025

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 1296/1293 एक हजार दौ सौ छिनवे बट्टा एक हजार दौ सौ तिरानवे तादादी 0.2951 जीरो दशमलव दो नो पांच एक हेक्टेयर वाके रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1381/2951 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 एक से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित कराये कि वोह वादी को

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा को तस्दीक किया गया। वादी की पहचान मनोज गोदारा एडवोकेट ने की व प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान प्रेम सैनी एडवोकेट ने की। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया।

वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूँकी पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश कर दावा का निस्तारण राजीनामा अनुसार करने का निवेदन किया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकारान् कब्जा काश्त के आधार पर राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः पक्षकारान् का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा संख्या 1296/1293 तादादी 0.2951 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.1381 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम व शेष पूर्वी साईड की 0.1570 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। उपरोक्तानुसार लगान का विभाजन कर तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02-03-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अंतिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
जगदीशप्रसाद बनाम भंवरलाल आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 21/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा संख्या 1296/1293 तादादी 0.2951 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.1381 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम व शेष पूर्वी साईड की 0.1570 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। उपरोक्तानुसार लगान का विभाजन कर तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03-03-2025

मुहर

दस्तखत उप अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट...खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)